न्यायालय सिविल जज जू०डि०, खलीलाबाद स्थान– बस्ती

मूलवाद सं० 541/2002

लुटावन बनाम शिवदास आदि

24.10.2019

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थनापत्र 45 क 2 पर सुना–

प्रार्थनापत्र 45 क 2 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि दौरान मुकदमा वादी सं० 1/1 रामआसरे की मृत्यु दिनांक 07.06.2019 को हो गई है। मृतक के विधिक वारिस उनकी पत्नी, पुत्रगण एवं पुत्रियां हैं। अन्य कोई वारिस नहीं है। ऐसी स्थिति में मृतक की पत्नी को मृतक के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

प्रतिवादी द्वारा प्रार्थनापत्र पर मौखिक आपत्ति की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि प्रार्थनापत्र 45 क 2 वादी सं० 1/1 रामआसरे की मृत्यु दिनांक 07.06.2019 को होने के फलस्वरूप वादपत्र में वरासत कार्यवाही किए जाने के आशय से दिया गया है। प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है एवं अन्दरमियाद है। प्रस्तावित वारिसान जरिए वकालतनामा हाजिर हैं। प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने से वाद के निस्तारण में सहूलियत होगी एवं अनावश्यक वाद बहुलता कम होगी। अतः उपरोक्त समग्र विवेचना के दृष्टिगत प्रार्थनापत्र 45 क 2 स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 45 क 2 स्वीकार किया जाता है। वादी आवश्यक संशोधन अन्दर सप्ताह करे। पत्रावली वास्ते अतिरिक्त वादोत्तर/अतिरिक्त वादबिन्दु दिनांक 18.12.2019 को पेश हो।

सिविल जज जू०डि०,

खलीलाबाद स्थान–बस्ती